

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महाराजगंज, बिजनौर एवं लखीमपुर खीरी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2024

विषय:- बाढ़/अन्य आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु जनपदों में प्रयुक्त किये गये वायु सेना के हेलीकॉप्टरों के किराये के भुगतान हेतु धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एयर कोमोडोर, वायु ऑफिसर कमान्डिंग, वायुसेना स्टेशन, मेमोरा, बन्धरा, लखनऊ के पत्र सं०-505 सं इ/773/8/लेखा, दिनांक 11.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभिन्न जनपदों में बाढ़/अन्य आपदाओं के दौरान भारतीय वायु सेना के विमानों/हेलीकॉप्टरों के किराये के लम्बित बिलों का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वायुसेना द्वारा प्रेषित बिलों में से बाढ़/अन्य आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु प्रयुक्त किये गये वायुसेना के विमानों/हेलीकॉप्टरों के सम्बन्ध में जिन जनपदों द्वारा एयर लिफ्ट की सेवाएं लिये जाने की पुष्टि की गयी है, उनका विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	जनपद	बिल संख्या	बिल की धनराशि	सत्यापित धनराशि
1.	महाराजगंज	बिल सं०-एस०जी०-यू०पी०/3/2018-19	977500.03	977500.03
2.	बिजनौर	बिल सं०-एस०जी०-यू०पी०/4/2018-19	2151000.00	2151000.00
3.	लखीमपुर खीरी	बिल सं०-एस०जी०-यू०पी०/9/2021-22	1971750.00	1971750.00
कुल			5100250.03	5100250.03

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वायुसेना स्टेशन मेमोरा, बन्धरा, लखनऊ द्वारा राहत बचाव एवं अन्य कार्यों के सापेक्ष प्रयुक्त किये गये विमानों/हेलीकॉप्टरों के किराये हेतु मांगी गयी धनराशि रू० 5,17,29,082/- के सापेक्ष भुगतान हेतु अवशेष धनराशि रू० 1,27,67,833/- में से जनपद महाराजगंज, बिजनौर व लखीमपुर खीरी से प्राप्त सत्यापन के दृष्टिगत वायु सेना को रू० 51,00,250/- (इक्यावन लाख दो सौ पचास) का भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि (रू० में)
---------	-------------	--

1	महराजगंज	977500.03
2	बिजनौर	2151000.00
3	लखीमपुर खीरी	1971750.00
योग		5100250.00

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु वायुसेना द्वारा राहत बचाव एवं अन्य कार्यों के सापेक्ष प्रयुक्त किये गये विमानों/हेलीकॉप्टरों के किराये सम्बन्धी सत्यापित बिलों के सापेक्ष तत्काल वायुसेना को भुगतान की जाएगी।
- (2) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 के अनुसार किया किया जायेगा।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

4- उक्त व्यय रू0 51,00,250/- (इक्यावन लाख दो सौ पचास) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड 800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय- 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा तथा उक्त धनराशि आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से सी0डी0ए0 (ए0एफ0) वेस्ट ब्लॉक-वी, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली

के भारतीय स्टेट बैंक में संचालित बैंक खाता संख्या-10933101051, आईओएफओएसओसीओ कोड-SBIN0001076 में अन्तरित की जायेगी।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(राम केवल)
विशेष सचिव

संख्या- 1086(1)/एक-10-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- विंग कमांडर/वरिष्ठ लेखाधिकारी, 505, सिग्नल यूनिट, एयरफोर्स स्टेशन, मेमौरा, बंधरा, लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ प्रभारी, प्रशासनिक ऑफिसर, मुख्यालय मध्य, वायु सेना कमान, भारतीय वायु सेना, बम्बौली, प्रयागराज।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद महाराजगंज, बिजनौर एवं लखीमपुर खीरी।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-19/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1086
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1086
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2151000 3538326	2151000 3538326
2	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1971750 6971750	1971750 6971750
3	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	977500 3477500	977500 3477500
	योग	वर्तमान प्रगामी	5100250 13987576	5100250 13987576

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया इक्यावन लाख दो सौ पचास

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ उनतालीस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ छिहत्तर


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन